

**1. fofnk vk; 0h fpdfRI k vf/kdkjh I fofnk gk; ki fkh fpdfRI k vf/kdkjh , oa I fofnk ; wkuh fpdfRI k vf/kdkjh p; u i jh{k&2009 grq I k{kkRdkj ea mi fLFkr gks okys vkondkagrq vko'; d funzka**

उपरोक्त विषयांतर्गत आप अधोलिखित विवरण के अनुसार साक्षात्कार/चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए मण्डल कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी संबंधित अर्हताओं/अनुभवों से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

2. मूल प्रमाण-पत्रों के आधार पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच परीक्षण समिति द्वारा साक्षात्कार के पूर्व की जायेगी। सभी आवश्यक मूल दस्तावेज - जाति प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) स्तर से जारी), उपाधि/स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, अंकसूची, नियमानुसार आवेदन दिनांक को इन्टर्नशिप पूर्ण होने का सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण-पत्र, विकलांगता का प्रमाण-पत्र प्रतिशत सहित, जन्मतिथि, मूल निवासी प्रमाण-पत्र (नायब तहसीलदार/तहसीलदार स्तर से जारी) एवं अन्य समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ व दो-दो छायाप्रतियाँ आवश्यक रूप से साथ लावें, जिनका साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी मूल दस्तावेजों से भिन्न या असत्य पाए जाने पर आपको उक्त परीक्षा में अयोग्य मानते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. केवल साक्षात्कार में उपस्थित होने से आपको पद के लिए चयनित नहीं मान लिया जायेगा। लिखित परीक्षा, स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के बोनस अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर पदों की संख्या के अनुरूप चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

5. आवेदन-पत्र में उल्लेखित स्नातक/समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का मिलान मूल दस्तावेज से सही नहीं पाये जाने पर भी आपको उक्त परीक्षा में अयोग्य मानते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार पात्रता से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर साक्षात्कार के समय यात्रा व्यय का भुगतान संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी द्वारा देय होगा।

7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मूल निवासी, जाति, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, बोनस अंक संबंधी दस्तावेज नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना आवश्यक है। इन्हें साक्षात्कार की दिनांक को स्क्रूटिनी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दस्तावेजों के अपूर्ण अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जावेगा एवं इस हेतु उसे अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जावेगा।